न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा।

आदेश प्रत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश प्रत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या 319/2013–14

श्रीमति वीणा देवी बनाम कृष्ण कुमार सिंह वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आदेश अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। आवेदिका श्रीमति वीणा देवी पति सुभानन्द सिंह ग्राम थाना–सकतपुर, अंचल–तारडीह जिला–दरभंगा ने इस न्यायालय के वाद संख्या 396/11–12 में पारित आदेश दिनांक 4.05.2012 के आलोक में अंचलाधिकारी तारडीह द्वारा (पुराना खाता संख्या 70 पुराना खेसरा ने0:–885 नया खेसरा ने0:–1434 से आवेदिका द्वारा दिनांक 10.08.2001 को खरीदगी 04 कट्ठा 05 धुर भुमि का) कराये गये सीमांकननुसार विपक्षी द्वारा 02–1/2 डी0 भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्मित यह वाद प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी कृष्ण कुमार सिंह पिता–स्व0 मनरूप सिंह एवं दो अन्य ग्राम थाना–सकतपुर का कहना है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.05.2012 में अंचलाधिकारी तारडीह को स्पष्ट निर्देश किया गया है कि उक्त सीमांकन के पूर्व अन्य पक्षों के नाम में दर्ज चौहदी के आधार पर हीं सीमांकन का आदेश निर्गत करेगें, परन्तु अंचलाधिकारी उक्त निदेश का पालन किए बिना हीं अमीन को स्थल पर भेजे जिसे नापी का कोई समुचित ज्ञान नहीं है और न हीं अमीन ने निदेशित तथ्यों को ध्यान में रखा, वो न पालन किया। अपितु अमीन आवेदिका के मेल में आकर उनके बतायेनुसार उनके हित में नापी करने लगे जो सर्वथा अनुचित था।0 विपक्षी का यह भी कहना है कि इनके द्वारा अंचलाधिकारी को दिनांक 03.05.2013 को आपत्ति दिया जिसके आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा पत्रांक 602 दिनांक 17.07.2013 द्वारा आवश्यक दिशा निदेश की मांग की गई जिस संदर्भ में इस न्यायालय से अंचलाधिकारी को स्पष्ट स्थिति प्रतिवेदित करने को कहा गया है साथ हीं विपक्षी का कहना है कि इस बीच अंचलाधिकारी तारडीह द्वारा कोई सम्यक कार्रवाई नहीं की गई है। और इनके द्वारा दिनांक 016.09.2013 को अंचलाधिकारी को इस न्यायालय के आदेश के आलोक में समस्या के सामाधान हेतु किसी दुसरें अमीन या उनके टीम के द्वारा नापी करवाने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने से स्पष्ट विदित होता है कि पूर्व में	

30/05/14

निष्पादित वाद संख्या 396/11–12 के आदेश के नियमानुसार विधिवत अनुपालन करने के पश्चात हीं स्थल पर समस्या का समाधान संभव है।

आवेदिका के द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी प्रमाण दाखिल नहीं किया गया है। जिससे यह परिलक्षित हो कि निदेशित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार विहित प्रकिया अपनाकर अमीन से मापी कराई गई हो।

वस्तुतः–आदेश दिनांक 04.05.2012 के आलोक में अंचल द्वारा नियमानुसार सीमांकन वाद कायम की जानी चाहिए थी और उक्त वाद अन्तर्गत विहित रीति से पक्षकारों/चौहदीदारों को सूचना निर्गत किया जाना चाहिए था, तदुपरान्त मापी की तिथि निर्धारित कर अमीन की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए थी, अमीन द्वारा मापी के सिद्धान्तों के आलोक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापी की जानी चाहिए थी और फिल्ट नोट के साथ उपस्थित पक्षकारों एवं व्यक्तियों का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए था। परन्तु सुनने से विदित होता है कि अंचलाधिकारी के स्तर पर ऐसी कोई नियमानुकुल प्रकिया नहीं अपनाई गई है जिससे विपक्षी की आपत्ति विश्वनीय प्रतीत होता है। चुकि पूर्व वाद संख्या 396/11–12 के आदेश का विधिवत अनुपालन से हीं स्थल पर समस्या का समाधान संभव प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमीन के प्रतिवेदन से स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि उक्त सीमांकन को अवैज्ञानिक ढ़ंग से निष्पादित किया गया है।

अतः तत्काल इस कार्रवाई को बन्द करते हुए अंचलाधिकारी तारडीह को पुनः निदेशित किया जाता है कि नियमानुसार सीमांकन वाद कायम कर विहित रीति अपनाते हुए पूर्व के अमीन को छोड़ अन्य अमीन का टीम गठित कर आवेदिका एवं विपक्षी की उपस्थिति में उभय पक्षों के केवाला की भूमि का केवाला में दर्ज चौहदी के आधार पर सीमांकन कराना सुनिश्चित करेगें और गठित टीम के (मापी) सीमांकन प्रतिवेदन, फील्ड नोट बुक के साथ अपना स्पष्ट मन्तव्ययुक्त प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को सम्प्रेषित करेगें।

उक्त निमित अमानत शुल्क अब विपक्षी कृष्ण कुमार सिंह पिता–मनुरूप सिंह ग्राम थाना–सकतपुर अंचल कार्यालय में जमा करेगें, चुकि उन्हीं के द्वारा पूर्व के मापी प्रतिवेदन पर आपत्ति उठायी गई है।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी तारडीह को अनुपालनार्थ भेजे।

मापी प्रतिवेदन के प्राप्ति के पश्चात अभिलेख उपस्थापित करें।

लेखापित एवं शुद्धित

30/05/14

भु0 स0 उप समाहर्त्ता
सदर दरभंगा

30/05/14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर दरभंगा